

न्यायालय अनुमण्डल दण्डाधिकारी, बसिया (गुमला)।

धारा 107 दं०प्र०सं०

प्रथम पक्ष— मंजु केरकेड़ा बगैरह।

बनाम

वाद सं० 52 / 2021

द्वितीय पक्ष— दीपक सिंह बगैरह।

आदेश की क्र० सं० एवं तिथि	दण्डाधिकारी का आदेश एवं हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई टिप्पणी
04/2/22	उक्त वाद की कार्रवाई थाना बसिया के अप्रथमिकी सं० 16/2021 दिनांक 28/06/2021 के द्वारा प्रतिवेदित किया गया है प्रथम पक्ष (1) मंजु केरकेड़ा उम्र 45 वर्ष पति रोमिश केरकेड़ा (2) मरियानुस सोरेंग उम्र 45 वर्ष पिता स्व० जुथगन सोरेंग ग्राम तुरबुंगा थाना बसिया जिला गुमला बनाम द्वितीय पक्ष (1) दीपक सिंह उम्र 30 वर्ष पिता बालमुकुंद सिंह (2) हेमन्त सिंह उम्र 26 वर्ष (3) सुभाष सिंह उम्र 21 वर्ष दोनो पिता बालमुकुंद सिंह ग्राम तुरबंगा ओडिया टोली थाना बसिया जिला गुमला के बीच मौजा तुरबंगा के खाता सं० 117, 118 के भूमि में अपना अपना दखल को लेकर विवाद एवं तनाव होने एवं अशांति फैलने की सम्भावना को लेकर प्रतिवेदित किया गया है। तदनुसार दं०प्र०सं० की धारा 107 की कार्रवाई नियत तिथि एवं समय में कार्यवाही प्रारम्भ की गई एवं उभय पक्षो को कारण पृच्छा दाखिल करने हेतु नोटिस निर्गत किया। उभय पक्ष नोटिस प्राप्त कर न्यायालय में उपस्थित हुए :- उक्त वाद की कार्रवाई के दौरान उभय पक्षों के बीच किसी प्रकार से शांति भंग होने संबंधी सूचना थाना प्रभारी बसिया या अन्य स्रोतों से अप्राप्त है। उक्त वाद की समय अवधि समाप्त हो चुकी है। अतः उभय पक्षों के पक्षो उक्त वाद की कार्रवाई के बीच किसी प्रकार की शांति भंग नहीं होने की सूचना अप्राप्त होने एवं वाद की कार्रवाई समाप्त होने के कारण उक्त वाद की कार्रवाई बिना गुण दोष के समाप्त की जाती है।	

लेखापित ।



[Signature]
अनुमण्डल दण्डाधिकारी
बसिया(गुमला)।